न्यायालय अति. जिला कलक्टर करौली

पीठासीन अधिकारी सुरेश कुमार आर.ए.एस

मुकदमा नम्बर 29/016 तारीख रजू 05.07.2014

1 कजोडमल जागिड खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी करौली :—आवेदक

बनाम

1. श्री सत्यदेव आर्य पुत्र श्री शांतीस्वरूप मालिक मैसर्स चिम्मनराम पीरूराम स्वामी विवेकानन्द बजार हिण्डौन सिटी साकिन भायलापुरा डेम्परोड हिण्डौन सिटी जिला करौली

2 (i) मैसर्सः— इस्टइझिदया मार्केटिंग कोन्सीजेनी एजेन्ट मुलतानी फार्मी क्यूटिकल लिमिटेट एच—6—7 सुभाष नगर सोपिंग सेन्टर एलाईसी ऑफिस के पास जयपुर।

(ii) मैसर्सः— मुलतानी फार्मी क्यूटिकल लिमिटेड खसरा नम्बर 37 भगवानपुर हरिद्वार स्टेट उत्तराखण्ड — अभियुक्तगण

जुर्म अंतगर्त धारा 26 की उपधारा (2)(ii) एफएसएस एक्ट 2006 रूल्स 2011

निर्णय दिनांक 28.08.2019

संक्षिप्त मे प्रकरण इस प्रकार है कि खाद्व सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी करौली द्वारा एक प्रकरण अन्तर्गत धारा 26 की उपधरा (2)(ii) धारा 52 का उल्लधंन के तहत गैरसायलान (अभियुक्त) के विरूद्व इस न्यायालय मे प्रस्तुत किया गया है जिसमे गैरसायलान मैसर्स चिम्मनराम पीरूराम स्वामी विवेकानन्द बजार हिण्डौन सिटी साकिन भायलापुरा डेम्परोड हिण्डौन सिटी जिला करौली का कार्य करता है जिसमे आम जनता को खाद्य पदार्थ के इस्तेमाल के लिऐ शरबत बेचता है। इस खाद्व पदार्थ मे मिलावट का अन्देशा होने पर मैने दुकान मालिक यानि गैरसायल नम्बर 1 से रू—ई—गुलाब सरबत मुलतानी लेने को कहा गया एवं शुद्वता की जॉच हेतु लिया गया, जिसकी सूचना दुकान मालिक को जरिये प्रपत्र 5 ए देकर एक प्रति पर प्राप्ति हस्ताक्षर लिऐ गये एवं उपस्थित गवाहो के हस्ताक्षर कराकर मैने हस्ताक्षर किये गये रू—ई—गुलाब सरबत मुलतानी सील पैक 750 ग्राम की 4 बोतल मे से जॉच हेतु खरीद कर प्राप्त किये गये जिसे खाद्व विश्लेषक अलवर के यहॉ जॉच हेतु भेजा गया, नमूना ए.एल 783 दिनांक 23.5.2015 जॉच रिपोर्ट मे उक्त नमूना सील पैक रू—ई—गुलाब सरबत मुलतानी मिसब्राण्डस् किस्म का पाया गया है। इस आवेदन को

बिन्दुओ को नकारते हुये कहा गया कि मेरे द्वारा सील पैक माल खरीद कर आम जनता को विक्रय किया जाता है किसी के बयान नही लिये गये है नियम विरूद्व स्तगासा पेश किया गया है। मिसब्राण्र्डस मे मुताबिक एफ.एस.एक्ट की धारा के अनुसार खुदरा विक्रेता व थोक विक्रेता जिम्मेदार नही है। इन्हे दण्डित नही किया जा सकता है कानून की पूर्ण पालना, प्रार्थीया द्वारा नही की गई है ना ही अभियोजन की स्वीकृती ली गई है जॉच को सही प्रयोगशाला मे नही कराई गई है अलवर प्रयोगशाला को इस नमूने की जॉच करने का अधिकार नही है विवादित नमूना आयुर्वेदिक औषधी का है जिसे आयुर्वेदिक प्रयोगशाला ही नमूना जॉच करने का अधिकार रखती है अन्त मे प्रार्थना पत्र खारिज करने का निवेदन किया है।

उभय पक्षकारन अभिभाषक की बहस सुनी गई तथा पत्रावली मे उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया ।

वकील अप्रार्थीयान ने अपने बहस कथन मे जबाव प्रार्थना पत्र को दौहराते हुये कहा कि गैरसायल नम्बर 1 खुदरा विक्रेता है जिसने गैरसायलान नम्बर 2 से सील पैक माल खरीदा गया है। उसी माल को आम जनता को विक्रय करता है। खाद्व सुरक्षा मानक अधिनियमो के तहत खुदरा एवं थोक विक्रेताओ पर सील पैक की कोई जिम्मेदारी नही है हमने कोई मिलाबट नही की गई है। अन्त मे प्रार्थना पत्र खारिज करने का निवेदन किया है।

हमने वकील अप्रार्थीयान की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली मे उपलब्ध आवेदक के प्रार्थना पत्र एवं जबाव का अवलोकन करने पर पाया गया कि आवेदक ने गैरसायल नम्बर 1 के प्रतिष्ठान से दिनांक 23.5.2015 को सील पैक रू–ई–गुलाब सरबत मुलतानी का नमूना लिया गया था जो खाद्व विश्लेषक अलवर द्वारा इसे मिसब्राण्र्डस माना गया है। खाद्व विश्लेषक अलवर राजस्थान से प्राप्त रिपोर्ट एल.एस./592/एक्ट/2015/609 दिनांक 16.6.2015 से सील पैक रू–ई–गुलाब सरबत मुलतानी मिसब्रण्र्डस किस्म का पाया जाना बताया गया है। इस प्रकार से गैरसायलान द्वारा विक्रय किया गया खाद्य पदार्थ मिसब्राण्र्डस का है। और इस जॉच रिपोर्ट की चुनौती देने हेतु आवेदक ने अभियुक्त को धारा 46(4) के तहत 30 दिवस का समय दिया गया था जिसकी प्राप्ति रसीद पत्रावली मे शामिल है। जहा पर वकील अप्रार्थी का कथन था कि नमूना आयुर्वेदिक का है और आयुर्वेदिक का होने पर आयुर्वेदिक प्रयोगशाला मे ही जॉच करानी चाहीऐ थी वहा पर अप्रार्थीयान ने इस नमूने की चुनौती किसी भी प्रयोगशाला मे देने हेतु मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के यहा पर कोई आवेदन पत्र एव जॉच कराने हेतु ली जानी वाली राशि भी जमा नही कराई गई है। जिससे यह विदित होता है कि गैरसायल नम्बर 1 को सूचना मिलने के उपरान्त भी कोई कार्यवाही ना कर अपनी सहमति जाहिर की है। आवेदक द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियमो के तहत ही यह कार्यवाही की गई है। जिसमे प्रयोगशाला द्वारा खाद्य पदार्थ को

अतः आवेदक का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर गैरसायलान को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम जुर्म अंतगर्त धारा 26 की उपधारा 2(ii) एफएसएस एक्ट 2006 एवं नियम 2011 के तहत अप्रार्थी को 1000/– रूपये अंकेन एक हजार रूपये के दण्ड से दण्डित किया जाता है अभियुक्त को निर्देश दिये जाते हैं कि सात दिवस में उक्त राशि न्यायालय में जमा कराई जावे तथा भविष्य मे खाद्य पदार्थ विकय करने से पूर्व खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं 2011 के प्राब्धानो के अनुसार आम जनता को खाद्व पदार्थ का विकय /उपभोग मे लिया जावे। निर्णय की प्रति खाद्व सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी करौली को भिजवाई जावे।

निर्णय आज दिनांक 28.8.2019 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

अति0जिला कलक्टर
करौली